

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-503/2014

सुधारानी माथुर

—अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर II, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.04.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)

शुचि शर्मा, सदस्य

## आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि उन्हें मार्च 2003 में 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कथन किया गया है कि अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ सातवें वेतन आयोग के लागू होने पर दिनांक 01.09.2006 के पश्चात से ही देय है और इस आधार पर अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 02.09.2006 से दिया जा चुका है।
3. हम पाते हैं कि अपीलार्थी को नियमानुसार तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है। ऐसे में यह अपील सारहीन हो जाने से खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य(न्यायिक)